

न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
समक्ष गोपेश गर्ग

प्रकरण क्रमांक : 55ए/2009 इ0दी0

संस्थापन दिनांक 20.07.2009

- 1 गजाधर प्रसाद पुत्र भगवानसिंह (फौत) वारिसान :-
(अ)मुन्नालाल उर्फ रामलखन आयु 57 वर्ष
(ब)पप्पू उर्फ राधेश्याम आयु 43 वर्ष पुत्रगण गजाधर प्रसाद
(स)श्रीमती जानकीबाई विधवा पत्नी गजाधर प्रसाद आयु 57 साल निवासीगण ग्राम रसनौल परगना गोहद जिला भिण्ड
(द)श्रीमती मिथलेश पुत्री गजाधर प्रसाद आयु 40 साल पत्नी नरेन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम सर्वा परगना गोहद जिला भिण्ड

— वादीगण

बनाम

- 1 रामनरेश पुत्र गनपति आयु 55 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रसनौल परगना गोहद जिला भिण्ड
- 2 म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म.प्र.
- 3 छोटेलाल पुत्र दुर्गे जाति कोरी आयु 80 वर्ष निवासी ग्राम रसनौल परगना गोहद जिला भिण्ड

— प्रतिवादीगण

निर्णय

(आज दिनांक..... को घोषित)

1. यह वाद भूमि सर्वे क्रमांक 593 रकवा 0.11 है0 जिसका बंदोवस्त के पूर्व क्रमांक 366 था और भूमि सर्वे क्रमांक 594 रकवा 0.24 है0 जिसका बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 383 रकवा 2बीघा 8 विश्वा था का आधा भाग 12 विश्वा स्थित ग्राम रसनौल तहसील गोहद जिला भिण्ड (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा), का प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्र0डी-5 दिनांकित 07.09.1987 क्रमांक 1662 वादी के मुकाबले शून्य घोषित

किए जाने। प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में किया गया पट्टा निरस्त किए जाने की दृष्टि से गोपणा किए जाने और वादी के आधिपत्य संरक्षण हेतु स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु पेश किया गया है।

2. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 द्वारा स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि पूर्व में चरनोई की थी यह भी स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि का पट्टा छोटेला प्र.सा.2 के हक में हुआ था।
3. वादपत्र के अभिवचन संक्षेप में यह है कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के वाके मौजा रसनौल परगना गोहद में सर्वे नंबर 590 रकवा 0.36 एवं 596 रकवा 0.06, 597 रकवा 0.05 तथा सर्वे नंबर 593 रकवा 0.11, 594 रकवा 0.24 के आधे भाग यानी 12 विश्वा का मौके पर करीबन 18-19 बीघा का एक ही खेत है जिस पर वादी की खेती व काश्त निरन्तर एवं निर्विघ्न 40 वर्ष पूर्व से हो रही है और इस वर्ष भी वादी ने इस खेत को जोत बखर कर तैयार किया है इन सर्वे नम्बरानों में सर्वे नंबर 593 रकवा 0.11, 594 रकवा 0.24 के आधे भाग पश्चिम दिशा का विवाद है। सर्वे नंबर 593 का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे नंबर 366 रकवा 0.11 विश्वा, 594 का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे नंबर 383 2 बीघा 8 विश्वा शासकीय चरनोई के थे इसमें सर्वे नंबर 593 का सम्पूर्ण रकवा 11 विश्वा एवं 594 का 12 विश्वा रकवा वादी के स्वामित्व के खाते में मिला है जिस पर वादी की खेती हो रही है और वादी का कब्जा है। दिनांक 15.06.09 को प्रतिवादी ने वादी के घर आकर धौंस दी कि इस वर्ष विवादित भूमि पर वे खेती करेंगे और उन्हें खेती नहीं करने देंगे और कहा कि उन्होंने इसका बयाना प्र.डी.5 करा लिया है और नाम भी करा ली है तब वादी अपने लड़के को साथ लेकर पटवारी मौजा के पास गया और तहसील से इस विवादित भूमि की खसरे की नकलें दिनांक 02.07.09 एवं 04.07.09 को प्राप्त की तब जानकारी मिली कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि को अवैधानिक रूप से अपने नाम करा लिया था। विवादित जमीन पूर्ण रूप से शासकीय थी जिसका पट्टा छोटेला प्र.सा.2 पुत्र दुर्गे कोरी निवासी रसनौल ने अवैधानिक रूप से कराया था और इस शासकीय पट्टे की भूमि का कलेक्टर की परमिशन के बिना प्रतिवादी ने बयाना प्र. डी.5 करा लिया जो पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि छोटेला प्र.सा.2 को इस शासकीय पट्टे की भूमि का प्रतिवादी के हक में विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र प्र0डी-5 दिनांक 07.09.87 को पूर्ण रूप से अवैधानिक है जिसका निष्पादन करने का प्रतिवादी क्रमांक 3 छोटेला प्र.सा.2 को कोई अधिकार नहीं है। इस तथाकथित विक्रय के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 रामनरेश प्र.सा.1 को कोई कब्जा नहीं दिया गया है और प्रतिवादी छोटेला प्र.सा.2 को कोई प्रतिफल नहीं दिया गया है। धोखा देकर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 3 से वादग्रस्त भूमि का बयाना करा लिया है जबकि प्रतिवादी क्रमांक 3 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में कोई तथाकथित विक्रय पत्र प्र0डी-5 सम्पादित नहीं किया है।
4. वादपत्र में यह भी अभिवचन किया है कि, वादग्रस्त भूमि हमेशा से शासकीय निस्तार चरनोई की भूमि है जो वादी के खेतों में मिली होकर वादी का हमेशा से कब्जा है प्रतिवादी क्रमांक 3 ने गलत जानकारी शासन को देकर अवैधानिक रूप से पट्टा करा लिया था और शासन द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में तथाकथित विक्रय पत्र प्र0डी-5 कर दिया है इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 3 के हक में किया गया पट्टा निरस्ती योग्य है और विवादित भूमि को पुनः शासकीय चरनोई किया जाना न्यायसंगत है। विवादित भूमि पहले निस्तार चरनोई की शासकीय थी तब से ही वादी का कब्जा है और फिर छोटेला प्र.सा.2 ने पट्टा करा लिया तब भी वादी का ही कब्जा था और प्रतिवादी ने बयाना करा लिया तब भी वादी का ही कब्जा है। भूमि शासन की थी तब शासन की जानकारी में एवं छोटेला प्र.सा.2 की जानकारी में और प्रतिवादी की जानकारी में वादी का ही कब्जा है। वादी विवादित भूमि पर लम्बे समय से सभी की जानकारी में कब्जाधारी होकर आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी अवैधानिक रूप से वादी को विवादित भूमि से शीघ्र बेदखल करना चाहता है। अतः इस आशय की डिक्री

प्रदान किए जाने का निवेदन किया है कि, यह घोषित किया जाये कि विक्रय पत्र प्र०डी-5 निःस्वत्व एवं प्रभावहीन है तद हेतु टिप्पणी अंकित करने सब रजिस्टार गोहद को आदेशित किया जाये और प्रतिवादी क्रमांक 3 के हक में किया गया पट्टा निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को पुनः शासकीय किया जाये तथा स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी बिना विधिक प्रक्रिया के अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल न करे और वादी के कब्जा काशत में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न न करे न करावे, सुविधापूर्वक खेती करने दे व फसल लेने दे।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादोत्तर में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त अभिवचन किया है कि सर्वे नंबर 590, 596, 597 का वादी हिस्सा 1/2 केशवप्रसाद पुत्र जहारसिंह श्रीप्रसाद पुत्र रामरतन हिस्सा 1/2 भाग के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उपरोक्त सर्वे नंबरान पर कुछ समय केशवप्रसाद कुछ समय श्रीप्रसाद एवं कुछ समय वादी की बारी-बारी से काशत हो रही है। सर्वे नंबरान 593, 594 पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा न वादी की काशत हुई क्य दिनांक से सर्वे नंबर 593, 594 पर प्रतिवादी क्रमांक 2 का कब्जा होकर काशत हो रही है। यदि उक्त भूमि पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य होता तो धारा 57 म०प्र०भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कोई कार्यवाही करता या बंदोवस्त में समय कार्यवाही करता जो, वादी ने आज दिनांक तक नहीं की। चरनोई पर भी वादी की कब्जा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं था। वादी को प्रतिवादी के कब्जा काशत की जानकारी प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि के क्य दिनांक से है। भूमि का छोटे लाल प्र.सा.2 पट्टे की शर्तों का पालन करते हुए कानूनन नियमानुसार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने के बाद नियमानुसार प्रतिवादी के हक में वैधानिक रूप से सही विक्रय पत्र प्र०डी-5 निष्पादित किया है। प्रतिवादी छोटे लाल प्र.सा.2 द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 07.09.1987 को बिक्रीत भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को कब्जा प्रदान कर विधिवत विक्रय पत्र प्र०डी-5 का निष्पादन किया गया था। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का हरकिस्मी कब्जा बर्ताव व हैसियत भूमिस्वामी है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 3 को बहलाफुसलाकर एवं अपने मेल मिलाव के अभिभाषक के जरिये साजिशी रूप से जवाबदावा प्रस्तुत कराया गया है जिसे प्रतिवादी क्रमांक 3 को जानकारी प्राप्त होने पर अपने जवाबदावा को निरस्त कराने की प्रार्थना की गई थी। बयनामा प्र.डी.5 उपपंजीयक कार्यालय गोहद में निष्पादित हुआ है। उक्त बयनामा प्र.डी.5 वादीगण पर प्रभावी है। वादी का उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा बर्ताव नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 3 को भूमिस्वामी के रूप में शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी। जिसे प्रतिवादी क्रमांक 3 ने अपने घरू खर्च व आवश्यकता के लिये प्रतिवादी क्रमांक 1 को विधिवत प्रतिफल प्राप्त कर व कब्जा प्रदान कर बयनामा निष्पादित किया था। इन तथ्यों की जानकारी वादी को भलीभांति रही है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई पट्टेदार व भूमिस्वामी का संबंध स्थापित नहीं है और किसी दिनांक का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि प्रतिवादी की जानकारी या सहमति से वादी द्वारा उक्त भूमि धारण नहीं की जिसकी शर्तों के उल्लंघन में वादी को कोई स्वत्व दाविया भूमि पर प्राप्त हुए हों। दाविया भूमि के सहहिस्सेदार रामेश्वरदयाल पुत्र अयोध्याप्रसाद तथा भूमि सर्वे क्रमांक 590, 596, 597 के सहभूमि स्वामी केशवप्रसाद पुत्र जाहरसिंह मृतक रामरतन पुत्र जाहरसिंह के वारिस श्रीप्रसाद आदि को पक्षकार नहीं बनाया है। सहहिस्सेदारान में किसी सह हिस्सेदार को या सह हिस्सेदार की भूमि पर कानूनन कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
6. प्रतिवादी क्रमांक 2 म०प्र०राज्य शासन प्रकरण में एकपक्षीय रहा है जिसके द्वारा वादोत्तर पेश नहीं किया गया है।
7. प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा वादोत्तर पेश कर अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि वादी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की होना स्वीकार है और जिसमें पट्टे की भूमि सम्मिलित होना स्वीकार है। आराजी क्रमांक 366 एवं 383 मौजा रसनौल

के शासकीय चरनोही थे। यह भूमि उसे पट्टे पर दी गयी थी परन्तु यह पट्टे वाली भूमि का उसे कभी कब्जा नहीं दिया गया। बंदोवस्त में सर्वे नंबर 593, 594 बदलकर नवीन बनाये गये हैं। यह सर्वे नंबर वादी के सर्वे नम्बरानों में मिले होकर एक साथ जुते हुए हैं और इन पर करीब 40-45 वर्ष पूर्व खेती व काश्त गजाधर प्रसाद (मृत) की होती थी अब उनके लड़कों की हो रही है। प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि का कभी भी प्रतिवादी क्रमांक 1 रामनरेश प्र.सा.1 के हक में कोई विक्रय पत्र प्र0डी-5 संपादित नहीं किया और रामनरेश प्र.सा.1 ने उसे कभी इस भूमि के रुपये नहीं दिये। पटवारी मौजा से मिलकर प्रतिवादी रामनरेश प्र.सा.1 ने अपने नाम का गलत इन्द्राज करा लिया है। परन्तु प्रतिवादी ने रामनरेश प्र.सा.1 के हक में विक्रय पत्र प्र0डी-5 नहीं किया है क्योंकि उसे शासन द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कभी भी कलेक्टर के यहां से इस भूमि को विक्रय करने की कभी कोई अनुमति नहीं ली। वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा और उसने कभी भी रामनरेश प्र.सा.1 को विक्रय पत्र प्र0डी-5 के द्वारा कोई कब्जा नहीं दिया। वादग्रस्त भूमि शासकीय चरनोई के छोटे-छोटे टुकड़े थे जो वादी गजाधर प्रसाद (मृत) के एक 20 बीघा के बड़े खेत में मिले हुए थे जिस पर खेती हमेशा से गजाधरप्रसाद (मृत) की हो रही थी। अब उनके लड़कों की हो रही है वह पढ़ालिखा नहीं है। उसे आज याद भी नहीं है कि रामनरेश प्र. सा.1 प्रतिवादी ने कब और कैसे उससे इस वादग्रस्त भूमि के संबंध में बयनामा करा लिया है जबकि उसने अपनी जानकारी में कोई विक्रय पत्र प्र0डी-5 रुपये लेकर रामनरेश प्र.सा.1 के हक में संपादित नहीं किया। वादग्रस्त भूमि पर रामनरेश प्र.सा.1 की कभी कोई खेती व काश्त नहीं हुई। प्रतिवादी रामनरेश प्र.सा.1 ने उसे झूठा आश्वासन देकर पट्टे कि लिखापढ़ी गोहद तहसील में हो रही है और उससे फर्जी तरीके से वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र प्र0डी-5 करा लिया है। जबकि उसके द्वारा कभी कोई विक्रय पत्र प्र0डी-5 रामनरेश प्र.सा.1 के हक में इस पट्टे वाली भूमि का नहीं किया गया है और ना ही उसने कभी कब्जा लिया।

8. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वादप्रश्न विरचित किए गए हैं जिन पर प्राप्त विनिश्चय प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जा रहा है।

वाद प्रश्न

विनिश्चय

1.क्या भूमि सर्वे क्रमांक 593 रकवा 0.11 है0 और भूमि सर्वे क्रमांक 594 रकवा 0.24 है0 का आधा भाग पश्चिम दिशा की ओर पर वादी का स्थापित आधिपत्य है ?

2.क्या प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा वैध रूप से उपरोक्त विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय किया गया है ?

3.क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?

4.क्या वाद का मूल्यांकन व क्षेत्राधिकार हेतु उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया गया है ?

5.क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप कर रहा है ?

6.सहायता एवं व्यय ?

// वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष //

9. पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 590, 596 व 597 से मिली होकर 18-19 बीघा का एक खेत है जिस पर उसके पिता गजाधर प्रसाद (मृत) के जीवनकाल से उसकी खेती चली आ रही है। विवादित भूमि के पश्चिम दिशा का विवाद है। जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 की जानकारी में हमेशा से उसका कब्जा रहा है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 3 का कभी स्वत्व नहीं रहा और न ही उसने कभी खेती की और न ही प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवादित भूमि पर कभी कब्जा रहा है और वर्तमान में विवादित भूमि उसकी भूमि से मिली होकर जुत रही है। रामनरेश प्र.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि उसने छोटेलाल प्र.सा.2 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्र0डी-5 दिनांक 07.09.1987 के द्वारा क्रय की है तभी से उसका आधिपत्य है और मौके पर कब्जा बर्ताव है। छोटेलाल प्र.सा.2 ने उससे नगद प्रतिफल लेकर विक्रय पत्र प्र0डी-5 किया था और मौके पर कब्जा प्रदान किया था। छोटेलाल प्र.सा.2 द्वारा किया गया विक्रय पत्र प्र0डी-5 पूर्ण रूप से वैध है जो छोटेलाल प्र.सा.2 पर बंधनकारी है छोटेलाल प्र.सा.2 ने वादी से दुरभि संधि कर ली है इसलिए गलत अभिवचन कर वादीगण के पक्ष में जवाबदावा प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि से वादी का संबंध सरोकार नहीं है। छोटेलाल प्र.सा.2 ने कथन किया है कि घरु आवश्यकता के लिए उसने विवादित भूमि पौने तीन बीघा का रकवा रामनरेश प्र.सा.1 को 28 वर्ष पूर्व विक्रय किया था और विक्रयधन रामनरेश प्र.सा.1 ने प्राप्त किया था और मौके पर विवादित भूमि का कब्जा रामनरेश प्र.सा.1 को दिया तब से रामनरेश प्र.सा.1 की खेती हो रही है और गजाधर प्रसाद (मृत) की कभी खेती नहीं हुई। विक्रय करने के पूर्व उसका कब्जा था और विक्रय के बाद वर्तमान तक रामनरेश का स्वत्व व आधिपत्य है। उसके द्वारा रामनरेश प्र.सा.1 के हक में किया गया बयनामा पूर्णतः सही है।
10. प्रतिपरीक्षण में पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने कथन के पैरा 8 में कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 ने नरेश के हक में वर्ष 1986-87 में ढाई-पौने तीन बीघा रकवा का विक्रय पत्र प्र0डी-5 किया था और कथन के पैरा 9 में कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 ने बयनामा करने की कलेक्टर से अनुमति नहीं ली और कथन के पैरा 11 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर राजस्व रिकार्ड में उसका कब्जा अंकित नहीं है और कथन के पैरा 12 में इंकार किया है कि बयनामा दिनांक से विवादित भूमि पर रामनरेश प्र.सा.1 का कब्जा है और कथन के पैरा 14 में इंकार किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 का पट्टा हुआ तब से छोटेलाल प्र.सा.2 खेती कर रहा है परन्तु यह स्वीकार किया है कि अगर जमीन पट्टे पर दी जाती है तो विक्रय करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होता है। प्रतिपरीक्षण में रामनरेश प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 7 में यह जानकारी होने से इंकार किया है कि विवादित भूमि छोटेलाल प्र.सा.2 को शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई थी जबकि यह तथ्य मुख्यपरीक्षण में उल्लिखित है जिस पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर इस तथ्य को लिखाये जाने से रामनरेश प्र.सा.1 ने इंकार किया है और कथन के पैरा 8 में कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 विवादित भूमि का भूमिस्वामी था और कथन के पैरा 9 में यह जानकारी होने से इंकार किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 ग्राम रसनौल का चौकीदार था अथवा नहीं। यह भी कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 ने विक्रय करने के पूर्व शासन से अनुमति नहीं ली। रामनरेश प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 10 में प्रतिवादी छोटेलाल प्र.सा.2 द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यह जानकारी होने से इंकार किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 को विवादित भूमि बयनामा में मिली थी या नहीं और कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 को जमीन अपने पिता से मिली थी।
11. प्रतिपरीक्षण में छोटेलाल प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 5 में स्वीकार किया है कि विवादित जमीन उसे पट्टे पर मिली थी। जब वह चौकीदार था तब उसे शासन से पट्टा मिला था और पट्टे के 3-4 साल बाद उसने भूमि विक्रय कर दी थी। उसने जब जमीन बेची तब कलेक्टर से अनुमति नहीं ली। विक्रय पत्र प्र0डी-5 में उल्लिखित है कि

विवादित भूमि शासकीय पट्टे की नहीं है। इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर छोटेलाल प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 6 में स्वीकार किया है कि यह तथ्य गलत लिखा हुआ है। छोटेलाल प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 7 में कथन किया है कि विवादित जमीन उसे हरिजन जाति का होने से पट्टे पर जोतने के लिए दी गयी थी और स्वीकार किया है कि विवादित भूमि उसे बेचने के लिए नहीं दी गयी। छोटेलाल प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 8 में कथन किया है कि बयनामे के समय 6000/-रुपये मिले थे और 5000/-रुपये घर पर देने के लिए कहा था लेकिन पैसे नहीं दिए। कब्जे के संबंध में छोटेलाल प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 8 में कथन किया है कि विवादित खेत पर रामनरेश प्र.सा.1 का कभी कब्जा नहीं रहा। छोटेलाल प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 10 में कथन किया है कि विवादित भूमि डेढ़ बीघा गजाधर (मृत) से मिली थी और रामनरेश प्र.सा.1 की कभी खेती नहीं हुई। फिर कथन किया है कि विवादित भूमि आधी-आधी जोते हैं। आधी वादी पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 एवं आधी रामनरेश प्र.सा.1 खेती करता है और रामनरेश प्र.सा.1 आधी जमीन पर जबरदस्ती से खेती कर रहा है।

12. पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि शासकीय सर्वे नंबर है। विवादित भूमि हमेशा से शासकीय चरनोई भूमि रही है। रामनरेश प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 7 में इंकार किया है कि विक्रय पत्र प्र0डी-5 की विवादित भूमि शासकीय थी और कथन के पैरा 9 में जानकारी होने से इंकार किया है कि विवादित भूमि शासकीय भूमि थी और छोटेलाल प्र.सा.2 को शासन से पट्टा मिला था।
13. पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 को विवादित भूमि का पट्टा दिया गया था। कथन के पैरा 7 में कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 को शासन ने वर्ष 1976 में पट्टा दिया था यह बात उसके पिता ने बतायी थी। उसने पट्टे के आदेश की नकल पेश नहीं की है। यह भी स्वीकार किया है कि शासन द्वारा छोटेलाल प्र.सा.2 को किए पट्टे के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की है और कथन के पैरा 9 में कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शासन द्वारा पट्टा दिया गया था और छोटेलाल प्र.सा.2 द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 14 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि शासन ने छोटेलाल प्र.सा.2 को शासकीय पट्टे पर खेती करने के लिए दी थी। रामनरेश प्र.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि छोटेलाल प्र.सा.2 को पट्टे पर प्राप्त हुई थी और पट्टा आज दिनांक तक प्रभावशील है जिसे राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और भूमि पट्टे पर प्राप्त होने के पश्चात पट्टाधारी छोटेलाल प्र.सा.2 का राजस्व कागजात में भूमि स्वामी के रूप में इन्द्राज हुआ था। छोटेलाल प्र.सा.2 ने भी कथन किया है कि विवादित भूमि शासन द्वारा उसे पट्टे पर भूमि स्वामी के रूप में प्रदान की गयी और पटवारी कागजात में पट्टे वाली भूमि पर उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हुआ।
14. पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने कथन किया है कि छोटेलाल प्र.सा.2 ने बिना अनुमति के रामनरेश प्र.सा.1 के पक्ष में विक्रय पत्र प्र0डी-5 संपादित कर दिया है जबकि छोटेलाल प्र.सा.2 को विक्रय करने का अधिकार नहीं था।
15. वादी द्वारा विवादित भूमि पर स्वयं का आधिपत्य होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं जिस लोप को पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 ने अभिवचनों में विवादित भूमि पूर्व में चरनोई की होना स्वीकार की है लेकिन रामनरेश प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 7 व 9 में अपने अभिवचनों के अनुरूप विवादित भूमि शासकीय होने के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं दिया है। वादी ने खसरा प्र0पी-3 प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित भूमि शासकीय चरनोई की उल्लिखित है जिसके खण्डन में प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि विवादित भूमि शासकीय भूमि नहीं थी। रामनरेश प्र.सा.1 ने छोटेलाल प्र.सा.2 को विवादित भूमि कैसे प्राप्त हुई इस संबंध में भी एकरूपता से स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से वादी की मौखिक साक्ष्य का समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य से भी

- होता है जिसका खण्डन प्रतिवादीगण करने में असमर्थ रहे हैं। अतः विवादित भूमि पूर्व में शासकीय भूमि होना सिद्ध होती है।
16. पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने विवादित भूमि छोटेला प्र.सा.2 को पट्टे पर प्राप्त होना बताया है और पट्टे का आदेश पेश न किया जाना स्वीकार किया है। रामनरेश प्र.सा.1 ने भी विवादित भूमि छोटेला प्र.सा.2 को पट्टे पर प्राप्त होना बताया है। छोटेला प्र.सा.2 ने भी विवादित भूमि पट्टे पर प्राप्त होना बताया है। प्रकरण में किसी भी पक्ष द्वारा मूल पट्टा विलेख न्यायालय में पेश नहीं किया गया है परन्तु खसरा प्र०पी-3 में संवत् 2034 में विवादित भूमि का छोटेला प्र.सा.2 शासकीय पट्टेदार होना उल्लिखित है।
17. रामनरेश प्र.सा.1 ने विवादित भूमि पर छोटेला प्र.सा.2 से स्वत्व प्राप्त होना बताया है और विक्रय अनुसार ही आधिपत्य प्राप्त होना बताया है। वादी ने विवादित भूमि पर स्वत्व का अभिवाक नहीं किया है मात्र आधिपत्य का अभिवाक किया है। अतः स्वत्व का अभिवाक प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किए जाने से स्वत्व का स्रोत सिद्ध करने का सबूत का भार प्रतिवादी पर ही था और प्रतिवादीगण द्वारा ही विवादित भूमि पर उनका स्वत्व होने का अभिवचन करने से उन्हीं के द्वारा पट्टा पेश किया जाना आवश्यक था जो उनके द्वारा पेश नहीं किया गया।
18. प्रतिवादी का तर्क है कि पट्टे विभिन्न प्रकार के होते हैं और पट्टे के हस्तांतरण हेतु कलेक्टर से अनुमति ली जाना आज्ञापक नहीं है। वादी द्वारा इस संबंध में न्यायदृष्टांत **बुधवा चमार बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य 2002 राजस्व निर्णय 95** पर ध्यान आकर्षित कराया है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति का होने से भूमि आबंटित की गयी और तत्पश्चात उसे भूमिस्वामी घोषित किया गया। भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना जब अंतरित की गयी तब अंतरण प्रारंभ से शून्य था। उक्त निर्णय को डिवीजन बेंच के समक्ष न्यायदृष्टांत **मुलायमसिंह व अन्य बनाम बुधवा चमार व अन्य 2002 राजस्व निर्णय 250** में चुनौती दी गयी जिसमें भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां भूमि राज्य शासन को भूस्वत्व में धारित हो वहां कलेक्टर की अनुमति के बिना संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती और बिना अनुमति के किया गया अंतरण शून्य है।
19. धारा 165 म०प्र०भू-राजस्व संहिता के अधीन ऐसा व्यक्ति जिसे सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा दिया हो और वह तत्पश्चात भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है तब वह भूमि का अंतरण कलेक्टर से अनिम्न राजस्व अधिकारी के अनुज्ञा के बिना भूमि अंतरित नहीं करेगा। अतः सामान्य नियम के अनुसार शासकीय पट्टेधारी को बिना कलेक्टर की अनुमति के भूमि अंतरण करने का अधिकार नहीं है और ऐसी दशा में अगर प्रतिवादीगण ऐसे पट्टे का अभिवाक करते हैं जिसमें छोटेला प्र.सा.2 को अंतरण का अधिकार प्राप्त था तब धारा 103 व 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सबूत का भार प्रतिवादीगण पर होगा परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण ने पेश नहीं किया है जिसके अनुसार धारा 165 भू-राजस्व संहिता के होते हुए भी और छोटेला प्र.सा.2 का शासकीय पट्टेधारी होते हुए भी उसे अंतरण का अधिकार प्राप्त था। अतः संभावना की प्राबल्यता के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा पट्टा पेश न किये जाने से प्रतिवादीगण के प्रति विपरीत उपधारणा निर्मित होती है कि प्रतिवादी छोटेला प्र.सा.2 को शासकीय पट्टेधारी होने से अंतरण का अधिकार प्राप्त नहीं था।
20. विक्रय पत्र पत्र प्र०डी-5 में भी विवादित भूमि शासकीय पट्टे की न होना विक्रेता द्वारा लिखाया गया है जबकि न्यायालयीन साक्ष्य में विवादित भूमि शासकीय पट्टे की होना स्वीकार की गयी है। अतः जबकि धारा 165 म०प्र०भू-राजस्व संहिता के अधीन प्रतिवादी क्रमांक 3 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में पट्टा करने का अधिकार नहीं था और विक्रय पत्र प्र०डी-5 में भूमि व स्वत्व के संबंध में असत्य तथ्य लेख किये गये हों तब विक्रेता को भी स्वत्व अंतरण करने का अधिकार न होने से क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 1

- को विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं होता है।
21. प्रतिवादी क्रमांक 4 की आपत्ति है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में बिना अनुमति के किए गए विक्रय को ना ही राज्य शासन ने चुनौती दी है और ना ही छोटेला प्र.सा.2 ने चुनौती दी है और जबकि विवादित भूमि शासकीय भूमि है तब वादी को वाद लाने का अधिकार भी नहीं रहता है। वादी ने विवादित भूमि पर स्वयं का आधिपत्य होने के आधार पर आधिपत्य संरक्षण हेतु वाद प्रस्तुत किया है और उसी विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 3 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में स्वत्व अंतरण किया है। अतः वादी आधिपत्य संरक्षण के अनुतोष हेतु उसी विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 के मध्य किए गए संव्यवहार को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि ऐसा संव्यवहार वादी के अभिकथित आधिपत्य के अधिकार को चुनौती प्रदान करता है। शासन द्वारा अथवा प्रतिवादी छोटेला प्र.सा.2 द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के किए गए विक्रय पत्र प्र0डी-5 को चुनौती नहीं दी है परन्तु उक्त दोनों उपरोक्त न्यायदृष्टांत **बुधवा चमार** में प्रतिपादित किया गया है कि बिना कलेक्टर की अनुमति के शासकीय पट्टे की भूमि का किया गया अंतरण शून्य है अतः ऐसा संव्यवहार जोकि विधि के विरुद्ध है पक्षकारों की सहमति से विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। अतः यद्यपि शासन व प्रतिवादी क्रमांक 3 ने विधि के प्रतिकूल संव्यवहार को चुनौती न देकर विवक्षित रूप से स्वीकार किया है परन्तु उनकी सहमति से विधि के प्रतिकूल संव्यवहार को वैधानिकता प्राप्त नहीं होती है। जिससे प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 द्वारा विक्रय संव्यवहार को चुनौती न दिए जाने से प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किया गया अंतरण वैध नहीं होता है और वादी को वाद लाने का अधिकार रहता है।
22. संवत् 2031 लगायत 2035 का खसरा प्र0पी-3 व प्र0पी-4 के अनुसार विवादित भूमि शासकीय भूमि उल्लिखित है और छोटेला प्र.सा.2 को पट्टे पर प्रदान की गयी है। खसरा प्र0पी-5 में भी छोटेला प्र.सा.2 को भूमिस्वामी के रूप में उल्लिखित किया गया है और संवत् 2044 में छोटेला प्र.सा.2 के स्थान पर विक्रेता प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम प्रविष्ट किया गया है। खसरा प्र0पी-6 में विवादित भूमि पर रामनरेश प्र.सा.1 का भूस्वत्व उल्लिखित है। अतः राजस्व प्रविष्टि के अनुसार अधिकार अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 भूमिस्वामी के रूप में उल्लिखित हैं। लेकिन छोटेला प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 8 व 10 में विवादित भूमि पर रामनरेश प्र.सा.1 का कब्जा होने से इंकार किया है फिर कथन किया है कि वादी व प्रतिवादी रामनरेश प्र.सा.1 आधी-आधी जोते हैं। अतः आधिपत्य के संबंध में उसने स्थिर साक्ष्य नहीं दी है जिस पर निर्भर रहकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विवादित भूमि पर छोटेला प्र.सा.2 के बाद रामनरेश प्र.सा.1 का कब्जा रहा अथवा नहीं।
23. वादी ने सीमांकन के संबंध में दस्तावेज प्र0पी-7 लगायत 11 प्रस्तुत किए हैं परन्तु उक्त कार्यवाही में रामनरेश प्र.सा.1 ही आवेदक है जिसमें सीमांकन प्रतिवेदन दिया गया है कि वादी की खेती हो रही है उक्त सीमांकन कार्यवाही को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने चुनौती दी इस संबंध में प्रतिवादी ने स्पष्ट अभिवचन नहीं किए हैं। वादी द्वारा कब्जा इन्द्राज के लिए प्रस्तुत आवेदन प्र0पी-12 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिस पर प्रतिवेदन प्र0पी-13 आहूत किया गया है जो पंचनामा प्र0पी-14 से समर्थित है जिसमें वादी का विवादित भूमि पर कब्जा होना उल्लिखित है और उक्त प्रकरण में रामनरेश प्र.सा.1 अनावेदक है। उक्त कार्यवाही को भी प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा चुनौती दी गयी इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। प्रतिवादी द्वारा धारा 250 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अधीन की गयी कार्यवाही में प्रस्तुत आवेदन पत्र प्र0डी-2, जांच प्रतिवेदन का आवेदन प्र0डी-4 व आदेश पत्रिका प्र0डी-1 प्रस्तुत की है। आवेदन प्र0डी-2 में रामनरेश प्र.सा.1 ने उल्लिखित किया है कि सीमांकन में उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 593 व 594 अनावेदक के खेत में मिली होना बतायी है। अतः वादी को कब्जे से बेदखल किए जाने की प्रार्थना की है। अतः विवादित भूमि पर रामनरेश प्र.सा.1 ने ही वादी का कब्जा होना आवेदन प्र0डी-2 में दर्शित किया है और तदोपरांत वादी को बेदखल किया गया

ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अतः प्रतिवादी के ही दस्तावेज से विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य होना प्रमाणित होता है।

24. अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 से विक्रय पत्र प्र0डी-5 अधिकार विहीन रूप से निष्पादित कराया गया है प्रतिवादी छोटेलाल प्र.सा.2 को विक्रय करने का अधिकार नहीं था जिससे विक्रय पत्र प्र0डी-5 वैध रूप से विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 3 से कय नहीं की है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वत्व के आधार पर ही आधिपत्य का अभिवाक है। परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 का ही विवादित भूमि पर वैध स्वत्व परिलक्षित नहीं हुआ है। राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य किसी अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट नहीं है परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा ही सीमांकन और धारा 250 म0प्र0भू-राजस्व संहिता की कार्यवाही में वादी का आधिपत्य दर्शित किया गया है जिसे प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी गई है। अतः विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य होना सिद्ध होता है।
25. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर वादप्रश्न क्रमांक 1 का विनिश्चय साबित एवं वादप्रश्न क्र 2 का विनिश्चय नासबित के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 5 पर सकारण निष्कर्ष //

26. पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने कथन किया है कि पांच वर्ष पूर्व गजाधर (मृत) को रामनरेश प्र.सा.1 ने धौंस दी कि उसने भूमि का बयनामा करा लिया है और वह नाप करायेगा और उसे खेत जोतने नहीं देगा। प्रतिवादीगण वादी को जबरदस्ती बेदखल करना चाहते हैं। विवादित भूमि पर प्रतिवादी ने अपना आधिपत्य होना बताया है। परन्तु पूर्ण साक्ष्य की विवेचना से विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य होना सिद्ध हुआ है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आधिपत्य के अभाव में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा विवादित भूमि पर स्वयं का आधिपत्य दर्शित कर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। अतः इस वादप्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 3 पर सकारण निष्कर्ष //

27. रामनरेश प्र.सा.1 ने कथन किया है कि प्रकरण में म0प्र0 शासन को आवश्यक पक्षकार बनाकर शासन के विरुद्ध सहायता चाही जाने का तथ्य दावे में वादी ने जानबूझकर नहीं जोड़ा है। वादी ने आवश्यक पक्षकारों को नहीं जोड़ा है। वादी ने विवादित भूमि अपने सर्वे नंबर की भूमि से मिली होने का अभिवचन किया है जबकि उक्त भूमि वादी के एकांत के स्वामित्व की न होकर अन्य सहखातेदारों की है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उनकी साक्ष्य दी गयी है।
28. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 2 म0प्र0शासन को वादपत्र में संशोधन के द्वारा वादी ने आवश्यक पक्षकार दर्शित किया है। जिसके विरुद्ध जारी आदेशिका पर दिनांक 21.01.15 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अतः आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 2 को न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया है परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 2 पक्ष समर्थन हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 2 में इस संबंध में भी आपत्ति नहीं ली है कि उसे धारा 80 सी.पी.सी नोटिस प्रेषित नहीं किया गया। वादी ने भी प्रतिवादी क्रमांक 2 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **सूरजभान बनाम एकज्यूकेटिव इंजीनियर एआईआर 1973 इलाहाबाद 269** भी अवलोकनीय है जिसके अनुसार प्रतिवादी द्वारा नोटिस की आपत्ति न लिए जाने पर यह माना जायेगा कि प्रतिवादी ने अपने ऐसे हक का परित्याग किया है। अन्य सहखातेदारों को पक्षकार न बनाये जाने के संबंध में उल्लेखनीय है कि पप्पू उर्फ

राधेश्याम व.सा.1 ने कथन के पैरा 11 में कथन किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 590, 596, 597 में केशव व रामरतन आदि का हिस्सा है जिसे उसने पक्षकार नहीं बनाया है उनकी भूमि का बंटवारा भी नहीं हुआ है। परन्तु विवादित भूमि उसके हिस्से से लगी है। वादी ने इस संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया है कि विवादित भूमि पर निकट के भूमिस्वामियों का भी आधिपत्य है अतः विवादित भूमि पर वादी ने स्वयं का आधिपत्य बताया है और निकट की भूमि जिसका वह सहखातेदार है के सहखातेदार आवश्यक पक्षकार नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने आधिपत्य का अभिवाक नहीं किया है। वादी ने स्वत्व घोषणा की प्रार्थना नहीं चाही है। अतः अन्य सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत नहीं होते हैं। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **लुईस रोबर्टा बनाम रुक्यन सिल्वेस्टे एआईआर 1988 बाम्बे 300** भी अवलोकनीय है जिसके अनुसार इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों अनुसार सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार नहीं होते हैं।

29. अतः प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना सिद्ध नहीं होता है। अतः इस वादप्रश्न का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 4 पर सकारण निष्कर्ष//

30. रामनरेश प्र.सा.1 ने कथन किया है कि वादी ने प्रकरण में उचित मूल्यांकन का न्यायशुल्क अदा नहीं किया है। पप्पू उर्फ राधेश्याम व.सा.1 ने कथन के पैरा 12 में कथन किया कि विवादित भूमि की वर्तमान मकीमत चार लाख रुपये है और 6-7 साल पूर्व उसकी कीमत एक-सवा लाख रुपये थे। वादी के अभिवचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि का लगान तीन रुपये होने से बीस गुणा साठ रुपये व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रथम से मालियत पांच सौ रुपये कायम कर पांच सौ साठ रुपये मालियत कायम की जाती है जिस पर न्यायशुल्क पांच सौ रुपये घोषणा हेतु व सौ रुपये निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
31. वर्तमान वाद विक्रय पत्र प्र0डी-5 शून्य घोषित किए जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा घोषणा का पारिणामिक अनुतोष नहीं है। स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वादी ने वाद का मूल्यांकन पांच सौ रुपये किया है। धारा 7(4)(डी) कोर्टफीस एक्ट के अनुसार वादी इफितश अनुतोष की रकम का कथन करने के लिए स्वतंत्र है और उक्त पांच सौ रुपये किस आधार पर अनुचित है यह प्रतिवादी ने स्पष्ट नहीं किया है। उक्त मूल्यांकन पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के समक्ष वादी ने मूल्यानुसार सौ रुपये के न्यूनतम रहते हुए बारह प्रतिशत की दर से सौ रुपये न्यायशुल्क प्रदान किया है। अतः निषेधाज्ञा हेतु वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है। घोषणा हेतु वादी विक्रय पत्र प्र0डी-5 का पक्षकार नहीं है। अतः घोषणा हेतु मूल्यांकन भू-राजस्व का बीस गुना उचित रूप से कर न्यायशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 17 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष निश्चित न्यायशुल्क पांच सौ रुपये वादी ने उचित संदाय किया है। अतः वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है। अतः इस वादप्रश्न का विनिश्च साबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 6 पर सकारण निष्कर्ष//

32. वादी ने पट्टा निरस्त करने की प्रार्थना की है परन्तु पट्टा अभिलेख पर नहीं है न ही उसके अस्तित्व का स्पष्ट विवरण है। अतः वादी प्रार्थना अनुसार पट्टा शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त वादप्रश्न पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है और प्रकरण निम्नानुसार आज्ञाप्त किया जाता है।

1. यह घोषित किया जाता है कि विक्रय पत्र पत्र प्र0डी-5 दिनांकित 07.09.1987

शून्य है। अतः धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन डिक्री की प्रति एवं विक्रय पत्र प्र0डी-5 की प्रति पंजीयन संस्था उपपंजीयक गोहद को प्रेषित की जाये।

2. प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य में विधि की प्रक्रिया के विरुद्ध स्वयं अथवा अभिकर्ता के माध्यम से अवैधानिक हस्तक्षेप न करें।

3. प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 3 स्वयं के साथ वादी का समान रूप से वाद व्यय वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ी जाये। प्रतिवादी क्रमांक 2 अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।

तदनुसार आज्ञापत्र बनाई जाये।

दिनांक :-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2

गोहद जिला मिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)